

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दफा २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान पारित पद

अ. वर्तमान मूल्य ~~१-१-२०१०~~

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री दिल्ली	मुकान 20/60	—	१५ लाख	सकल मुकान पर	पिता द्वारा प्राप्त	१२०००-	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान मूल्य के पदों में अचल मूल्य का उल्लेख है।
 •• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विनियम, 1957 के विनियम 34(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा मूल्य सेवा वेतनी के प्रथम स्तरों में यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह माहों की अवधि का परीक्षा/पद परीक्षा/पद पर प्रसूत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत है।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री
 पद श्री
 दिनांक 13/11/2010